



2026:AHC:31858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 750 सन् 2026

नरेश चंद्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: पुनीत भदौरिया, विशाल मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी., मानवेंद्र नाथ सिंह

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत भदौरिया के साथ-साथ राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अमित कुमार वर्मा(एओआर/ए 0087/2017) की ओर से श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र नाथ सिंह को सुना।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे चतुर्थ श्रेणी (नलकूप स्वीपर) कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 21.07.2022 को सेवानिवृत्त हो गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को उसके सेवानिवृत्ति के बाद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 21.06.2024 को एक संचार होने के कारण पेपर बुक के पृष्ठ 27 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि रिट याचिकाकर्ता का दावा 1984 और 2016 के नियम के आलोक में सेवानिवृत्ति के बाद बकाया राशि पर विचार करने का हकदार है और नियम 15 का लाभ भी इस संबंध में दिया जाना है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ नगर पंचायत की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को चौथे प्रतिवादी, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा पहली बार में निर्धारित करने की आवश्यकता है।
5. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 27.02.2026 तक चौथे प्रतिवादी, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, चौथा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"